

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

आम्बेडकरनगर।

सेवा, मे,

प्रबन्धक,

कप्तान सिंह मेमोरियल एजुकेशनल
इंस्टीट्यूट भगोला अम्बेडकर

पत्रांक./मान्यता/11298-11303

/2017-18 दिनांक 24-3-18

विषय-निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2003 के नियम 18 के उपबन्धन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 26.8.2017 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ

परचातवती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं कप्तान सिंह मेमोरियल एजुकेशनल

इंस्टीट्यूट भगोला अम्बेडकर को तारीख 13.02.2018 से तारीख

18.02.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8

तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के परचातव मान्यता/संकेतन करने के लिए कोई बाधता विहित नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2003 (उपबन्ध 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय का एक पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा; यह अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिनें उसे किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को सार्वजनिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बौद्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकम्बित किये गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निरक्षरता गस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की मर्ती अधिनियम की धारा 25 (1) के अधीन यथा अधिकशिक्षित न्यूनतम अर्हतापूर्ण मान्यता की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भिक न्यूनतम अर्हताये नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा है और।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अभ्यापन कक्षा कक्षाओं में नियोजित नहीं करेंगे।

PRINCIPIAL
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar

MANAGER
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के बानकों और संनिगमों को बनाये रखेगा।

अतिरिक्त निरीक्षण के सनय रिपोर्ट की गई प्रतुपिचार निम्नानुसार है-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 610 रुमर

कुल निर्मित क्षेत्र 300 रुमर

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल 310 रुमर

कक्षाओं की संख्या 10

प्राध्यापक सह-कार्यालय सह सहायक के लिए कमर 2

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेय जल की सुविधा

मैड डे मील बकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कलायें नहीं चलायी जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1980 (1980 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आपूर्ति पत्रा कोड संख्या है: कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय इसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो तत्समय मंत्र निर्देशित विद्यालय/जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करेगा या विद्यालय के कार्यकरण की क्रियाओं को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार सिंह)
जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पूरा 4 दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक, (वैश्विक) निशातगंज लखनऊ।
2. सचिव वैश्विक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बालक) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अन्न पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कार्यक्रम अधिकारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
6. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

PRINCIAPL
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar

MANAGER
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar